तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र/एलआर/5146/2011/राजसमन्द हीरालाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.2024	**एकलपीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** उपस्थित :– श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी श्री शिशिर विजयवर्गीय, उपराजकीय अभिभाषक –आदेश– प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भावा के खसरा नम्बर 293/2 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 293/3 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि जोकि पूर्व खसरा नम्बर 747 व 748 से बने है, पर प्रार्थी के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उक्त भूमि का पट्टा भी तत्कालीन जागीरदार द्वारा प्रार्थी के पिता के हक में दिनांक 01–07–1948 को जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पिता वादग्रस्त भूमि के ठिकाने के नम्बरदार होने से वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त पूर्वजों के समय से ही निरन्तर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उक्त स्थिति के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार कुवांरिया द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा तौर पर प्रार्थी को आराजी जैर पर अतिक्रमी घोषित करते हुए व आराजी जैर का स्वरूप चारागाह मानते हुए प्रार्थी के बेदखली की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के समक्ष वादपत्र भी पेश कर रखा है जोकि वर्तमान में लम्बित है तथा उक्त वादपत्र में प्रार्थी के अधिकारों की घोषणा होनी शेष है। संबंधित तहसीलदार जोकि वादवत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार स्थापित है, व उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं माना जा सकता। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, कुवांरिया द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली व शास्ति कायम करने की कार्यवाही की गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष चाराजोई करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपतहसीलदार, कुवांरिया का आक्षेपित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र/एलआर/5146/2011/राजसमन्द हीरालाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश दिनांक 01–07–2011 जोकि एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, निरस्त किये जावे। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश इस आधार पर प्रदान किये गये है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन चारागाह है तथा प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा बतौर अतिक्रमी है। प्रार्थी यदि उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित भी है तो वह सक्षम न्यायालय में आक्षेपित आदेश को चुनौती देने हेतु स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में उपतहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रार्थी को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत अनुतोष प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र के एडमिशन पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम भावा के खसरा नम्बर 293/2 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 293/3 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि जोकि पूर्व खसरा नम्बर 747 व 748 से बने है, के संबंध में उपतहसीलदार, कुवांरिया द्वारा अतिक्रमी मानते हुए बेदखली एवं शास्ति कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने से व्यथित होकर उक्त प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत पेश करते हुए आक्षेपित आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में उपतहसीलदार, कुवांरिया द्वारा पटवारी हल्का भावा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करते हुए व यह पाये जाने पर कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के पिता के समय से अतिक्रमण किया हुआ है, प्रार्थी के विरूद्ध आराजी जैर का स्वरूप गैर मुमकिन चारागाह रिकार्ड दर्ज होने व उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रार्थी द्वारा आक्षेपित आदेश के विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय में किसी प्रकार की कोई चाराजोई की गई हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं करते हुए भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 जिसके तहत मण्डल को पर्यवेक्षणीय शक्तियाँ प्रदत्त की गई, के अनुसरण में उपतहसीलदार, कुवांरिया के आक्षेपित आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। इस संबंध में हमने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 का अवलोकन किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र/एलआर/5146/2011/राजसमन्द हीरालाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Remedy by way of appeal - whether Section be invoked - When remedy was available to the petitioners by way of appeal and when the remedy by way of revision is available and there are no special ground of invoking the power under section, 9 Section 9 cannot be invoked., प्रकरण में चूंकि प्रार्थी के पास आक्षेपित आदेश के विरूद्ध विधि में सक्षम न्यायालय में अपील के प्रावधान निहित है, जिसके तहत प्रार्थी सक्षम स्तर पर चाराजोई करते हुए अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत उपलब्ध पर्यवेक्षणीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई राहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रदत्त नहीं की जा सकती। लिहाज प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थी आक्षेपित आदेश के विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कमला अलारिया) सदस्य	